न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—82/2021

जीसीएमएस नं.—2021/350

जगनदंनसिंह पुत्र धन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) ——— **प्रार्थी**

बनाम्

1. धनसिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. परमजीत सिंह पुत्र धन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज)
4. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील—

1. श्री चरणजीत सिंह चन्दी एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांकः—24/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—76 पत्थर सं.—139/36 के किला नं.—1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 18 किला नं.—21 ता 25 में कुल 5.819 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं.—2 धनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं.—1 धनसिंह के उपरोक्त 1/2 हिस्सा को वाद पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के दादा जंगीर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अप्रार्थी सं.—1 धनसिंह प्रार्थी का पिता है। तथा अप्राार्थी सं.—2 परमजीत सिंह प्रार्थी का सगा भाई है। प्रार्थी के दादा जंगीर सिंह का देहात होने के बाद उक्त कृषि भूमि जंगीर सिंह के दो पुत्रो यानि जगदेवसिंह पुत्र जंगीरसिंह व प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी सं.—1 धनसिंह को बहिस्सा बराबर—2 यानि 1/2—1/2 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई है तथा अप्रार्थी सं.—1 धनसिंह का 1/2 हिस्सा पैतृक सम्पति हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पति है, इस कारण सम्पति उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से सहदायिकी हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादग्रस्त उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का जन्म से ही 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.—2 जो कि प्रार्थी का सगा भाई है तथा अधार्थी सं अप्रार्थी सं.—2 के अनुचित दबाव, प्रगाव में है तथा अप्रार्थी सं. —1 हर समय अप्रार्थी सं.—2 के साथ रहता है। अपार्थी सं.—2 जो कि तेज तरार्र व होशियार किस्म का व्यक्ति है तथा अप्रार्थी सं.—2 अप्रार्थी सं.—1 को [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा हड़प करना चाहता है तथा इसके लि[illegible] अप्रार्थी सं.—2 हर समय अप्रार्थी सं.—1 को उकसाता रहता है। वादग्रस्त कृषि भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाती में दर्ज है तथा मौका पर प्रार्थी अप्रार्थीगण सं.—1 वा 2 के साथ संयुक्त रूप से [illegible] काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन मौका पर अप्रार्थीगण [illegible] सं.—2 बातो को लेकर प्रार्थी के साथ विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी को तंग परेशान करते रहते है। जिसके संबंध में प्रार्थी कई बार अपने रिश्तेदार व जाति बिरादरी के व्यक्तियों की पंचायत कर वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी को उसका 1/3 हिस्सा देने बाबत अप्रार्थी सं.—1 को कहा लेकिन अप्रार्थी ने पंचायत की कोई बात

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 18:44:59 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नहीं सुनी तथा अप्रार्थी सं.–1 ने पंचायत के समक्ष प्रार्थी को कई बार ऐलानिया कहा कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी को उसका हिस्सा नहीं देता तथा वह समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–2 के नाम से हस्तांतरित कर देगा। आज से 5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 एक राय होकर वादग्रस्त कृषि भूमि में आऐ तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगड़ा करते हुऐ प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हित निहित है लेकिन अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 ने प्रार्थी की कोई बात नही सुनी तथा प्रार्थी को जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपने उक्त अवैध आश्य मे कामयाब नहीं होने दिया तथा जाते समय अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी को ऐलानिया कहा कि वह शीघ्र ही उक्त समस्त वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–2 के नाम से हस्तांतरित कर प्रार्थी को दलबल सहित बेदखल कर देगें। अप्रार्थी सं.–1 जो कि अप्रार्थी सं.–2 के अनुचित प्रभाव में है तथा अप्रार्थी सं.–2 के अनुचित प्रभाव में आकर अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि में से उसके 1/3 हिस्सा से प्रार्थी को बेदखल करने हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–2 को हस्तांतरित करने की फिराक में है यदि अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 अपने उक्त आश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। क्योंकि उक्त पैतृक कृषि भुमि में प्रार्थी का जन्म से हित निहित है। अप्रार्थी सं.–1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–2 के नाम से हस्तांतरित कर प्रार्थी को उसके हिस्सा से वंचित तथा मौका से बेदखल करने की धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 अपने अवैध आश्य में कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी अपने हितों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। पैतृक वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से का खाता विभाजन करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अपना हिस्सा अपने नाम से अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थी का यह विधिक अधिकार है कि प्रार्थी अपनी सम्पति का उपयोग उपभोग करे तथा अपनी सम्पतिं संबंधि अधिकारों की रक्षा करे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह दौराने वाद वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–76 पत्थर सं.–139/36 के किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 18, किला नं.–21 त्ता 25 मे कुल 5.819 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मे से वादग्रस्त कृषि भूमि 1/2 हिस्सा को खाता विभाजन से पूर्व हस्तांतरित कर रहन, बैय करने से एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने से निषेद्ध रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वाके चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं.–76 पत्थर सं.–139/36 की कुल 5.819 हैक्टर खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है। अप्रार्थी सं.–1 अपनी उक्त खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग [illegible] है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है तथा प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी का पिता एवं अप्रार्थी सं.–2 [illegible] सगी माई होना स्वीकार है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी कृषि भूमि है। [illegible] प्रार्थी अथवा अन्य किसी भी वारिस का कोई सरोकार व वास्ता अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल [illegible] नहीं है और ना ही प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में किसी प्रकार से सहदायिकी के रूप में किसी प्रकार का प्रार्थी का कोई 1/3 हिस्सा बनता है और ना ही प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत भूमि में कोई हित निहित है ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 18:44:59 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है तथा प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी का सगा भाई होना स्वीकार है शेष मद बवजह गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं.–1 को किसी प्रकार से अपने अनुचित प्रभाव में नहीं ले रखा बल्कि प्रश्नगत समस्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 के कब्जा काश्त में है तथा जिससे अप्रार्थी सं.–1 वृद्धावस्था में अपना जीवनयापन करता है। जबकि प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही बनता है और ना ही प्रार्थी का कोई हित निहित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई लोकसस्टेण्डी नंही है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर शुरू से लेकर आज रोज तक अप्रार्थी सं.–1 का निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी सं.–1 ने कभी भी प्रश्नगत भूमि का कोई बंटवारा नहीं किया और ना ही प्रार्थी को कोई हिस्सा कभी बांट कर दिया गया और ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा ही है जब प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा ही नही है तो उसे किसी प्रकार की पंचायत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से पैतृक सम्पति नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई हित व हिस्सा बनता है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी को किसी पंचायत के समक्ष उक्त प्रश्नगत भूमि की पारिवारिक व्यवस्था की और ना ही अप्रार्थी सं.–1 ने प्रश्नगत भूमि का कभी कोई बटवारा किया और ना ही कथित घरेलू बंटवारा के तहत कोई भूमि प्रार्थी को बांट कर प्रदत की गई और ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कोई कब्जा है बल्कि समस्त भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 का ही कब्जा काश्त है। जिससे अप्रार्थी सं.–1 अपना जीवनयापन करता है। प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है और ना ही प्रार्थी का कोई हित निहित है, ना ही किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के कतई विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है जिसका उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थी सं.–1 हर प्रकार से विधिक अधिकारी है प्रार्थी को किसी प्रकार की अपुर्णिय क्षति नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एक खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी कृषि भूमि है जो शुरू से ही अप्रार्थी सं.–1 के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी सं.–1 जीवनकाल में प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में कोई 1/3 हिस्सा हित निहित नही बनता और ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कोई कब्जा है बल्कि समस्त भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 का ही कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कानूनन किसी भी प्रकार से प्रश्नगत भूमि के विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के कतई विधिक अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा मन अप्रार्थी के जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं बनता। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–2 का पिता है तथा अप्रार्थी सं.–1 अभी जिवित है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत [illegible] से उसके जीवनकाल में उसकी खातेदारी एवं स्वअर्जित सम्पति का बटवारा [illegible] मांग सकता एवं ना ही बटवारा व घोषणा का प्रार्थना पत्र लगा सकता है अर्थात उक्त प्रार्थना [illegible] ने अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में पेश किया है तथा ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत कृषि भूमि [illegible] पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय [illegible] प्रार्थना पत्र हिन्दू लॉ के तहत विधि द्वारा वर्जित है जो काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी अपनी पत्नि व परिवार सहित अप्रार्थी सं. –1 से वर्ष 2016 से ही अलग रहता है प्रार्थी शुरू से ही झगडालु प्रवृति का रहा है तथा हमेशा अप्रार्थी सं.–1 को उसकी इस वृद्धावस्था में अप्रार्थी सं.–1 के साथ लडाई झगडा कर तंग परेशान

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 18:44:59 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

करता रहा है तथा ना ही हिन्दू धर्म के अनुसार कभी पुत्र के कर्तव्यों का निवर्हन किया। जिस कारण अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को दिनाक 13.01.2022 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से बेदखल करके इनकी बेदखली की सूचना अखबार में प्रकाशित करवा दी थी जिसकी प्रति सलग्नं है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा नंही है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 ने उसे कोई भूमि बांट कर दी गई ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–2 के नाम से सयुंक्त खाता में चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ के प.सं.–118/63 व 139/2 में कुल 4.807 हैक्टर भूमि है जिसके खाता विभाजन को लेकर अप्रार्थी सं.–2 ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसकी रंजिश को लेकर प्रार्थी ने अनवान सदर का प्रार्थना पत्र झुठे एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किया है

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह स्वीकृत तथ्य है कि पैतृक पूर्वजों से प्राप्त संपति किसी हिन्दू पुरूष द्वारा अपने पिता, पितामह या प्रपितामह से प्राप्त सभी संपति पैतृक सम्पति है। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के दादा जंगीर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अप्रार्थी सं.–1 धनसिंह प्रार्थी का पिता है। तथा अप्राार्थी स.–2 परमजीत सिंह प्राार्थी का सगा भाई है। प्रार्थी के दादा जंगीर सिंह का देहात होने के बाद उक्त कृषि भूमि जंगीर सिंह के दो पुत्रो यानि जगदेवसिंह पुत्र जंगीररसिंह व प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी सं.–1 धनसिंह को बहिस्सा बराबर–2 यानि 1/2–1/2 हिस्सा प्राप्त हुई है तथा प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं.–1 धनसिंह का 1/2 हिस्सा पैतृक सम्पति हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पति है, इस कारण सम्पति उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से सहदायिकी हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने स्वयं को अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र होने के आधार पर मूलवाद में अपने अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, विवादित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता धनसिंह अप्रार्थी सं.–1 को प्रार्थी के दादा जंगीर सिंह के देहान्त के उपरांत प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात प्रार्थी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी वरन् भविष्य में मुकद्मेंबाजी को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षतिः–जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. –1 को अपने पिता जंगीर सिंह से प्राप्त हुई है जो उसका पैतृक सम्पति सहित है। यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द [illegible] जाता है प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी अपने सम्पति [illegible] जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का [illegible] प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:59 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी संख्या–1 मूलवाद के निस्तारण तक प्रश्नगत रकबा वाके चक 14 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–76 पत्थर सं.–139/36 के किला

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 18, किला नं.–21 ता 25 मे कुल 5.819 हैक्टर कृषि भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ एवं उपपंजीयक अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:59 IST
Reason: SelfAttested